उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-2

संख्या- 815/14-2-14-4(6) /2014

लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर वन बन्दोबस्त अधिकारी, बांदा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	नरायनपुर	**ब्लाक संख्या-1**		
					858	3.3160	उत्तर- ग्राम नरायनपुर व पुरवा की उभयनिष्ठ सीमा । पूर्व- खसरा संख्या-735,व 857 दक्षिण- खसरा संख्या-859 पश्चिम- ग्राम नरायनपुर एवं पुरवा की उभयनिष्ठ सीमा ।
					ब्लाक संख्या-2		
					860	2.5730	उत्तर- खसरा संख्या-859 पूर्व- खसरा संख्या-861 दक्षिण- ग्राम नरायनपुर एवं अहमदगंज की उभयनिष्ठ सीमा । पश्चिम- ग्राम नरायनपुर एवं भभई की उभयनिष्ठ सीमा ।
				योग	**2 किता**	**5.8890**	

आज्ञा से,

(वी0एन0गर्ग)

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra